# –पच्चीस–

उत्तर प्रदेश सरकार
कर एवं निबन्धन अनुभाग–5
संख्या क0नि0–5–6468/11–2002–500 (35)–2000
लखनऊ, दिनांक 12 नवम्बर, 2002
अधिसूचना
आदेश

प0आ0–712

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, दिनाँक 8 जनवरी, 2001 से, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) के अधीन गठित किसी विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1976) के अधीन गठित किसी औद्योगिक विकास प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 के (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1966) के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, और कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1956) के अधीन रजिस्ट्रीकृत उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा किसी व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित पट्टे के लिखत पर उक्त अधिनियम की अनुसूची एक–ख के अनुच्छेद 35 के अधीन प्रभार्य शुल्क से ऐसी धनराशि पर जो निम्नलिखित से अधिक हो, प्रभार्य शुल्क की सीमा तक छूट प्रदान करते हैं,–

(1) प्रतिफल की ऐसी रकम जो आरक्षित किये गये औसत वार्षिक भाटक की रकम या मूल्य के दस गुने के बराबर हो, जहां कि पट्टा तीस वर्ष से अधिक किन्तु सौ वर्ष से अनधिक अवधि के लिए तात्पर्यित है;

(2) प्रतिफल की ऐसी रकम जो ऐसे भाटक की, जो पट्टे के प्रथम पचास वर्ष की बावत किया जायगा या परिदत्त किया जायेगा, पूरी रकम के तीसरे भाग के बराबर हो, जहां कि पट्टा सौ वर्ष से अधिक अवधि के लिए या शाश्वता के लिए तात्पर्यित है;

(3) प्रतिफल की ऐसी रकम जो ऐसे औसत वार्षिक भाटक की, जो प्रथम दस वर्ष के लिए उस दशा में दिया जायेगा या परिदत्त किया जायेगा जिसमें कि पट्टा उस अवधि तक चालू रहता, रकम या मूल्य के तीन गुना के बराबर हो, जहां कि पट्टा किसी निश्चित अवधि के लिए तात्पर्यित नहीं है।

(4) प्रतिफल की ऐसी रकम जो ऐसे नजराने या प्रीमियम या अग्रिम धन की रकम या मूल्य के, जो पट्टा में उपवर्णित है, बराबर हो, जहां कि पट्टा किसी नजराने या प्रीमियत के लिए या अग्रिम दिये गये धन के लिए मंजूर किया गया है और जहां कोई भाटक आरक्षित नहीं है और तीस वर्ष से अधिक अवधि के लिए तात्पर्यित नहीं है;

(5) पट्टों की भिन्न–भिन्न अवधि के सम्बन्ध में, यथास्थिति खण्ड (एक), (दो) या (तीन) में उल्लिखित रकम के अतिरिक्त, प्रतिफल को ऐसी रकम, जो ऐसे नजराने या प्रीमियम या अग्रिम धन की रकम या मूल्य के, जो पट्टा में उपर्णित हैं, बराबर हो, जहां कि पट्टा आरक्षित किये गये भाटक के अतिरिक्त किसी नजराने या प्रीमियत के लिये या अग्रिम दिये गये धन के लिए मंजूर किया गया है और तीस वर्ष से अधिक अवधि के लिए तात्पर्यित है :

परन्तु इस अधिसूचना द्वारा दी गयी छूट उन्हीं अभिलेखों पर प्रभावी होगी जो ऊपर उल्लिखित निकायों द्वारा उन आवंटियों के पक्ष में निष्पादित किये गये हों, जिन्होंने आवंटित स्थावर सम्पत्ति के विरुद्ध समस्त देयों का भुगतान दिनांक 31 मार्च, 2003 को या उसके पूर्व कर दिया हो।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
विनोद मल्होत्रा,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. K.N. 5-6468/XI-2002-500 (35)-2000, dated November 12, 2002 for general information :

**No. K.N. 5-6468/XI-2002-500 (35)-2000**
**Lucknow, Dated November 12, 2002**
**Notification**
**Order**

In exercise of the power under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as a mended from time to time in its application to Uttar Pradesh, the Governor is pleased to remit with effect from January 8, 2001 the duty chargeable under Articles 35 of Schedule 1-B of the said Act, on the instrument of lease executed by a Development Authority constituted under the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (Presideny Act no. 11 of 1973) as amended re-enacted by U.P. Act no. 30 of 1974, an Industrial Development Authority constituted under the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 (U.P. Act no. 6 of 1976), the Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad Established under the Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965 (U.P. Act no. 1 of 1966) and the Uttar Pradesh State Industrial Development Corporation registered under the Companies Act, 1956 (Act no. 1 of 1956) in favour of a person to the extent of the duty chargeable on the amount that exceeds,-

(1) The amount of consideration equal to ten times of the amount or value of the average annual rent reserved. Where the lease purports to before a term exceeding one hundred years;

(2) The amount of consederation equal to one third of whole amount of rent which would be paid or delivered in respect of the first fifty years of the lease, where the lease purports to be for a term exceeding one hundred years or in perpetuity:

(3) The amount of consideration equal to three times of the amount or value of the average annual rent which would be paid or delivered for the first ten years, if the lease continued so long, where the lease does ot purport to be any definete term;

(4) The amount of consideration equal to the amount of value such fine or premium or advance as set forth in the lease, where the lease is granted for a fine or premium or for money advanced and where no rent is reserved and purports to be for a term not exceeding thirty years;

(5) The amount of consideration equal to the amount or value of such fine or premium or advance as set forth in the lease, in addition to the amount mentioned in respect of different terms of leases, in clauses (i), (ii) or (iii) as the case may be. Where the lease is granted for a fine or premium or for money advanced in addition to rent reserved and purports to be for a term exceeding thirty years;

Provided that the exemption granted by this notification shall be effective on the instrument executed by the above mentioned bodies in favour of the allottee who have paid the entire dues against the allotted immovable property on or before March 31, 2003.

By order,
Sd/- Illegible
VINOD MALHOTRA,
Pramukh Sachiv.